राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई आर.ए.एस)

(कोर्ट कैम्प का स्थान ग्राम पंचायत बोली)

राजस्व आवेदन सं. 396 / 2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रार्थी किशन पुत्र श्री शंकराराम बनाम तहसीलदार सेड़वा

## आदेश

प्रार्थी किशन पुत्र श्री शंकराराम निवासी बोली द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत मय दस्तावेज कर निवेदन किया है कि पटवार हल्का पनोरिया, राजस्व गांव माण्टुडा के खाता संख्या 73, 54 के खसरा संख्या क्रमशः 101, 100 रकबा क्रमशः 35.7256, 0.0728 हैक्टेयर किस्म क्रमशः बारानी सोयम, गै.मूमकिन जमाबन्दी सवत् 2076–79, में उनका नाम करसन पुत्र श्री शंकरा राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गया है जबकि उनका शुद्ध नाम करसन पुत्र श्री शंकरा के स्थान पर किशन पुत्र श्री शंकराराम है इस तरह उनके नाम करसन पुत्र श्री शंकरा के स्थान पर किशन पुत्र श्री शंकराराम दुरूस्त किया जावे।

अतः तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 25.11.2025 की अनुशंसा के आधार पर प्रार्थी किशन पुत्र श्री शंकराराम का पटवार हल्का पनोरिया, राजस्व गांव मांण्टुडा के खाता संख्या 73, 54 के खसरा संख्या कमशः 101, 100 रकबा क्रमशः 35.7256, 0.0728 हैक्टेयर किस्म क्रमशः बारानी सोयम, गै. मूमकिन जमाबन्दी सवत् 2076–79, में प्रार्थी का नाम करसन पुत्र श्री शंकरा के स्थान पर किशन पुत्र श्री शंकराराम शुद्ध करने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार सेड़वा तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद कर आगामी [illegible] दिनों में पालना इस न्यायालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सेड़वा
दिनांक : 12/12/25

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

क्रमांकः– 2158-60

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषितः–

1. तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी किशन पुत्र श्री शंकराराम निवासी बोली, तहसील [illegible] जिला बाड़मेर।
3. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.01.27 12:30:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा